हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

No. BSEH/SEC/2024 **<u>प्रेस नोट</u>** **Circular No. 26/2024**
Dated: 08-02-2024

सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 02 व 03 दिसम्बर 2023 को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता का परिणाम दिनांक 18.12.2023 को घोषित किया जा चुका है।

- बोर्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 24.12.2023 के अन्तर्गत लेवल–2 के कुल 1308 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम RLV (Result late due to verification) घोषित किया गया था, इनकी बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन दिनांक 01.01.2024 से 07.01.2024, 17.01.2024 से 19.01.2024 तक करवाई गई। दिनांक 17.01.2024 से 19.01.2024 तक दिए गए दूसरे अवसर में जो परीक्षार्थी बायोमेट्रिक वैरीफिकेशन हेतु अनुपस्थित रहे, ऐसे कुल 76 परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड वैब–साईट पर उपलब्ध है। वे परीक्षार्थी दिनांक 19.02.2024 से 21.02.2024 तक बोर्ड मुख्यालय, भिवानी में उपस्थित होकर अपनी बायोमेट्रिक वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते है।
- दिनांक 17.12.2023 से 18.12.2023, 21.12.2023 से 22.12.2023 तथा 01.01.2024 से 07.01.2024, 17.01.2024 से 19.01.2024 तक दिए गये चार अवसरों में जो परीक्षार्थी बायोमेट्रिक वैरीफिकेशन हेतु अनुपस्थित रहे, ऐसे कुल 566 परीक्षार्थियों की सूची भी बोर्ड वैब–साईट पर उपलब्ध है। ऐसे परीक्षार्थी भी दिनांक 19.02.2024 से 21.02.2024 तक बोर्ड मुख्यालय, भिवानी में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क 10,000(दस हजार)/–रूपये जमा करवाकर अपनी बायोमेट्रिक वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते है। चार अवसरों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन करवाने से पहले बोर्ड नियमानुसार 10,000(दस हजार)/–रूपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वैरीफिकेशन के लिए अपना मूल प्रवेश–पत्र (admit card) तथा फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य है। इन परीक्षार्थियों को इनके ऑन लाईन आवेदन के समय दिये गये मोबाईल नं0 पर इस बारे संदेश भेजे जा रहे हैं। बोर्ड वैबसाईट पर उपलब्ध 76 व 566 परीक्षार्थियों की सूची में से जो परीक्षार्थी इन तिथियों में अपनी बायोमेट्रिक वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं करवाते है, उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

8/2/24

सहायक सचिव (विशेष परीक्षा शाखा)